

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017—भाद्र 4, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-3-14-2010-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, प्रभारी लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा श्री विनोद कुमार दुबे (सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, इन्दौर में सदस्य के पद पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.